

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 1970/फाल्गुन 25, 1891

No. 93] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 1970/PHALGUNA 25, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND
COMPANY AFFAIRS**

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th March 1970

S.O. 1089.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 203, dated the 18th January, 1963.

[No. F.10(14)-I.T./69-I.]

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 मार्च 1970

क्र० आ० 1089—अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य

और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 203, तारीख 18 जनवरी, 1963, को एतद्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० एफ० 10(14)—आई० टी०/69—I]

S.O. 1090.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1095, dated the 31st March, 1965.

[No. F.10(14)-I.T./69-II.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

का० आ० 1090:—अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूत-पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1095, तारीख 31 मार्च, 1965, को एतद्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० एफ० 10(14)—आई० टी० 69—II.]

आर० के० तलवार,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।